न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 10 / 2025	तारीख रजू 15.09.2025	तारीख निर्णय 08.05.2026

1. सीताराम पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी मैनपुरा तहसील व जिला स0मा0 हाल मकान नम्बर 99 महेश कॉलोनी टोक फाटक जयपुर।
2. प्रेमदेवी पत्नि सीताराम मीना निवासी मैनपुरा तहसील व जिला स0मा0 हाल मकान नम्बर 99 महेश कॉलोनी टोक फाटक जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द चौधरी प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः–

- यह कि प्रार्थीगण ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला स0मा0 हाल मकान नम्बर 99 महेश कॉलोनी टोक फाटक जयपुर के स्थाई निवासी है।
- यह कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 240 / 93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333 / 19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96 / 1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327 / 19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा की भूमि प्रार्थीगण के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड जमबान्दी में दर्ज है।
- यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 240 / 93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333 / 19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96 / 1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327 / 19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा है जिसको प्रार्थीगण निरन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
- यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि तरमीम शुदा भूमि है। जिसका प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाया था जिसकी छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
- यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के लिये प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की पत्थर गढ़ी बाबत श्रीमान तहसीलदार खंडार को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन तहसीलदार खंडार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं तहसीलदार खंडार द्वारा प्रार्थीगण ने कहा कि पत्थर गढ़ी के आदेश श्रीमान उपजिला कलेक्टर खंडार से लेकर आओ तब जाकर आपकी भूमि की पत्थर गढ़ी का कार्य सम्पन्न होगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना लाजिमी आया।
- यह कि प्रार्थीगण भूमि [illegible] में स्थित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार [illegible] को प्राप्त है।
- यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व निर्धारित न्याय शुल्क पर पे[illegible]
- यह कि अन्य उज्जरात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख.नं. 240/93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327/19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर की भूमि पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (तहसीलदार खण्डार) द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम सवांस काछड़ा की प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 240/93 रकबा 15.00 बीघा में से ख.नं.278/92/1 रकबा 2490 वर्ग फीट गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15.00 बीघा कुल किता 2, कुल रकबा 30.00 बीघा प्रेमदेवी पत्नी सीताराम जाति मीना सा.मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर खातेदार राहिन SBBJ शाखा खण्डार तथा खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1.13 बीघा, खसरा 327/19 रकबा 5.00 बीघा कुल किता 2, कुल रकबा 6.13 बीघा सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाती मीना निवासी ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला स.मा. खातेदार राहिन (ख.न. 96/1 बिला रहन) C.B.I शाखा गंडावर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरे का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 30/06/2025 राजस्व व भू.प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया हुआ है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है तथा मौके पर खातेदारों का ही कब्जा काश्त है एवं मौके पर उक्त खसरे खाली है।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ख.नं. 240/93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327/19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा की भूमि पर प्रार्थी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात तरमीम शुदा भूमि है। श्रीमानजी की सेवामे प्रार्थना पत्र बावत किये जाने पत्थरगढी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व आराजी ख.नं. 240/93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327/19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा की भूमि का पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण आराजी ख. नं. 240/93 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327/19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा के रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 30.06.2025 को किया हुआ है। मौके पर खातेदारों का ही कब्जा काश्त है प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने के नाते अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख.न. 240/93 रकबा 15 बीघा में से गैर मुमकिन रास्ते के रकबे को कम करते हुए, खसरा नम्बर 333/19 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 327/19 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम संवास काछड़ा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावें। पत्थरगढ़ी से पूर्व तहसीलदार खण्डार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें अगर पुलिस जाब्ता की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार खण्डार को भिजवाई जावें। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

08/5/26

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested